न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटाः—0744—2325871

GCMS ID-2017/00018
मिसल नम्बर— 02/2017
1.श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी गांवडी, पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

प्रार्थी।

बनाम

1.राजरथान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम।

—:निर्णयः—

दिंनाकः 7/10/2020

उपस्थितिः—

1.श्री रामरतन मीणा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री गोविन्द सिंह चौंहान, अधिवक्ता अप्रार्थी (राजकीय पैरोकार)।

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि प्रार्थी के पिता की तहसील लाडपुरा के पटवार हल्का रंगपुर में स्थित ग्राम गांवडी के माल में खसरा नम्बर 194 रकबा 17 बीघा 13 बीस्वा कृषि आराजी हैं। उक्त आराजी में सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट विभाग के द्वारा नये खसरा नम्बर 419 की रकबा 0.22 हैं., खसरा नम्बर 420 की रकबा 0.31 हैं., खसरा नम्बर 421 की रकबा 0.35 हैं., खसरा नम्बर 422 की रकबा 0.43 हैं., खसरा नम्बर 423 की रकबा 0.36 हैं. व खसरा नम्बर 424 की रकबा 0.50 हैं. कुल किता 6 कुल रकबा 2.17 हैं. कायम किये गये, जबकि पुराने खसरा नम्बर 194 का रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा अर्थात् 2.82 हैं. बनते हैं। किन्तु पूर्व के खसरा नम्बर 194 के कुल रकबे के मुताबिक सेटलमेंट विभाग द्वारा 0.65 हैं. रकबा कम कर सरकारी खाते में मिलाया गया जिसका मिलान क्षेत्रफल में भी अलग से नम्बर कायम नहीं किये गये हैं। जबकि सेटलमेंट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं किन्तु वहॉ पर केचमेंट हो जाने के कारण मौके की स्थिति परिवर्तित हो गई हैं। केचमेंट विभाग द्वारा कई नये खसरा सरकारी नम्बर कायम किये जा चुके हैं। प्रार्थी कई वर्षो से सिवायचक खसरा नम्बर 230 रकबा 0.04 हैं. व खसरा नम्बर 236 व 22 रकबा 0.61 हैं. कुल किता 2 रकबा 0.65 हैं. पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अतः प्रार्थी ने रकबा 0.65 हैं. भूमि अपने खाते दर्ज कराकर भूमि की पूर्ति करने हेतु निवेदन करते हुये अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में उपयुक्त दस्तावेज यथा सेटलमेंट से पूर्व की नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038—56, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052—2055 नक्शा ट्रेस संलग्न कर पेश किये हैं।

Continued Page....2.

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पक्ष अर्थात् तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि उनवान बद्रीलाल बनाम सरकार किस्म मुकदमा 136 वाद संख्या 02/17 ग्राम गांवडी में भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 194 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। जिसका बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 419 रकबा 0.22 हैं., खसरा नम्बर 420 रकबा 0.31 हैं., खसरा नम्बर 421 रकबा 0.35 हैं., खसरा नम्बर 422 रकबा 0.43 हैं., खसरा नम्बर 423 रकबा 0.36 हैं., खसरा नम्बर 424 रकबा 0.50 हैं. किता 6 रकबा 2.17 हैं. बनती हैं। जबकि पूर्व खसरे से मिलान करने पर 2.82 हैं. बनती हैं। इस प्रकार कुल रकबे में 0.65 हैं. भूमि की कमी हुई हैं। मौजूदा समय में श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण मीणा खसरा नम्बर 230 रकबा 0.04 हैं., खसरा नम्बर 236 रकबा 0.28 हैं. खसरा नम्बर 22 रकबा 0.33 हैं. भूमि जो कि सिवायचक दर्ज रेकार्ड हैं, पर काबिज व काश्त हैं जिससे उक्त कमी रकबे की पूर्ति उक्त खसरा नम्बर से कर दी जावें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उभयपक्षीय अधिवक्ता गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी जिन खसरो पर काबिज काश्त हैं, उन खसरा नम्बरान् से ही कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी जिन सिवायचक खसरा नम्बरान् पर काबिज काश्त हैं उन खसरा नम्बरान् से यदि कमी रकबे की पूर्ति की जाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई, प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र अर्थात् तहसील से प्राप्त रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में निहित राजस्व रेकार्ड यथा सेटलमेंट से पूर्व की नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–56, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का सत्य होना प्रतीत होता हैं तथा तहसीलदार लाडपुरा ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन किया हैं कि सेटलमेंट से पूर्व कुल रकबा 2.82 था जो कि बाद सेटलमेंट कुल रकबा 2.17 हैं. बना। जिससे कुल रकबे में 0.65 हैं. की कमी हुई हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी के पूर्व के कुल रकबे में से 0.65 हैं. की जो कमी हुई हैं वो तहसील लाडपुरा के ग्राम गांवडी में स्थित खसरा नम्बर 230 रकबा 0.04 हैं. में से पूर्ण 0.04 हैं., खसरा नम्बर 236 रकबा 1.47 हैं. में से 0.28 हैं., खसरा नम्बर 22 रकबा 4.82 हैं. में से 0.33 हैं. की कमी कर पूर्ति करें अर्थात् राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 230 रकबा 0.04 हैं. में से पूर्ण 0.04 हैं., खसरा नम्बर 236 रकबा 1.47 हैं. में से 0.28 हैं., खसरा नम्बर 22 रकबा 4.82 हैं. में से 0.33 हैं. पर प्रार्थी श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी गांवडी का नाम अमल दरामद करें।

उक्त निर्णय आज दिनाकः 9/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहनलाल प्रतिहार
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

GCMS ID-2018/00219
मिसल नम्बर– 14/2018
1.श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी गांवडी, पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम।

–:निर्णय:–

दिनांक: 9 / 10 / 2020

उपस्थिति:–

1.श्री रामरतन मीणा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री गोविन्द सिंह चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी (राजकीय पैरोकार)।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त सभांगीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा से पत्रावली प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान करने, विवादिज आराजी से संबधित राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद सेटलमेंट की जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, पटवारी रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन कर रकबा बरारी कर पुनः विधि सम्मत् एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्रतिप्रेषित (रिमांड) होकर प्राप्त हुई। प्रकरण को पुनः रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि प्रार्थी के पिता की तहसील लाडपुरा के पटवार हल्का रंगपुर में स्थित ग्राम गांवडी के माल में खसरा नम्बर 68 रकबा 25 बीघा 10 बीस्वा कृषि आराजी हैं। उक्त आराजी में सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट विभाग के द्वारा नये खसरा नम्बर 181 की रकबा 0.61 हैं., खसरा नम्बर 183 की रकबा 0.33 हैं., खसरा नम्बर 184 की रकवा 1.45 हैं., खसरा नम्बर 149/542 की रकबा 0.68 हैं., खसरा नम्बर 181/547 की रकबा 0.88 हैं. कुल किता 5 कुल रकबा 3.95 हैं. कायम किये गये। सेटलमेंट विभाग के द्वारा प्रार्थी के पूर्व के रकबा का नया नम्बर कायम करते समय राजस्व रेकार्ड में वर्तमान 0.13 हैं. कम कर दिये और पास में खसरा नम्बर 206 को सिवायचक दर्शाते हुये कम रकबा 0.13 हैं. को उसमें मिला दिया गया। जबकि सेटलमेंट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान् पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अतः प्रार्थी ने रकबा 0.13 हैं. भूमि अपने खाते दर्ज कराकर भूमि की पूर्ति करने हेतु निवेदन करते हुये अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में उपयुक्त दस्तावेज

रकबा 0.68 है0, खसरा नं0 181/547 रकबा 0.88 है0 है। जिसका मिलान

यथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030–33, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071, नक्शा ट्रेस नया, नक्शा ट्रेस पुराना संलग्न कर पेश किये हैं।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष अर्थात् तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि उनवान बद्रीलाल बनाम सरकार किस्म मुकदमा 136 ग्राम गांवडी में भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 68 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। जिसका बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 181 की रकबा 0.61 हैं., खसरा नम्बर 183 की रकबा 0.33 हैं., खसरा नम्बर 184 की रकबा 1.45 हैं., खसरा नम्बर 149/542 की रकबा 0.68 हैं., खसरा नम्बर 181/547 की रकबा 0.88 हैं. कुल किता 5 कुल रकबा 3.95 हैं. बनती हैं। जबकि पूर्व खसरे से मिलान करने पर कुल भूमि 4.08 हैं. बनती हैं। इस प्रकार कुल रकबे में 0.13 हैं. भूमि की कमी हुई हैं। मौजूदा समय में श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण मीणा खसरा नम्बर 206 रकबा 0.13 हैं. भूमि जो कि सिवायचक दर्ज रेकार्ड हैं, पर ट्रेसपासर चला आ रहा हैं एवं नियमित रूप से जुर्माना भी अदा कर रहा हैं जिससे उक्त कमी रकबे की पूर्ति उक्त खसरा नम्बर से कर दी जावें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उभयपक्षीय अधिवक्ता गण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी जिस खसरा नम्बर पर ट्रेसपासर की हैसियत से काबिज काश्त एवं नियमित रूप से जुर्माना अदा कर रहा हैं, उस खसरा नम्बरान् से ही कमी रकबे की पूर्ति करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी जिन सिवायचक खसरा नम्बरान् पर काबिज काश्त हैं उन खसरा नम्बरान् से यदि कमी रकबे की पूर्ति की जाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई, प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र अर्थात् तहसील से प्राप्त रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में निहित राजस्व रेकार्ड यथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2030–33, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का सत्य होना प्रतीत होता हैं तथा तहसीलदार लाडपुरा ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णन किया हैं कि सेटलमेंट से पूर्व कुल रकबा 4.08 हैं. था जो कि बाद सेटलमेंट कुल रकबा 3.95 हैं. बना। जिससे कुल रकबे में 0.13 हैं. की कमी हुई हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थी के पूर्व के कुल रकबे में से 0.13 हैं. की जो कमी हुई हैं वो तहसील लाडपुरा के ग्राम गांवडी में स्थित खसरा नम्बर 206 रकबा 25.20 हैं. में से 0.13 हैं. की कमी कर पूर्ति करें अर्थात् राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 206 कुल रकबा 25.20 हैं. में से 0.13 हैं. पर प्रार्थी श्री बद्रीलाल पुत्र श्री कल्याण उम्र 50 वर्ष जाति मीणा निवासी गांवडी का नाम अमल दरामद करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः ..9../..10./2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मोहनलाल प्रतिहार
उपखण्ड अधिकारी
कोटा